


961, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1090
36



₹.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

452427



विक्रय मूल्य -रु० 3,90,000/-
भालियत -रु० 3,89,320/-
रडाम -रु० 27,300/-
परगना - मोहनलालगंज

विक्रय विलेख


विक्रय विलेख का संक्षिप्त विवरण:-

1. भूमि का प्रकार - कृषि
2. परगना - मोहनलालगंज
3. मोहल्ला/ग्राम - बवकास

—2



[Handwritten signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AN 492426

1965.07.01, 2004

(3)

खसरा संख्या-961 की चौहद्दी

पूरब : भूमि खसरा सं०-960
पश्चिम : भूमि खसरा सं०-962
उत्तर : भूमि खसरा सं०-956
दक्षिण : नाला

खसरा संख्या-1095, 1096, 1097, 1098, 1099, व 1100

की चौहद्दी

पूरब : भूमि खसरा सं०-1083 व 1080
पश्चिम : आराजी दीगर
उत्तर : भूमि खसरा सं०-1109, 1101 व 1110
दक्षिण : भूमि खसरा सं०-1093, 1094 व 1084

उत्तर प्रदेश



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 493337

(4)

खसरा संख्या-1090 की चौहद्दी

पूरब : भूमि खसरा सं०-1088
पश्चिम : भूमि खसरा सं०-1091
उत्तर : भूमि खसरा सं०-1084
दक्षिण : भूमि खसरा सं०-1089

प्रथम पक्ष की संख्या (1)

द्वितीय पक्ष की संख्या (1)


विक्रेता का विवरण

राम बहादुर पुत्र स्व० परागी, निवासी-ग्राम-सीतारामपुरवा,
मजरा-बकवास, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ,
उ०प्र०।

क्रेता का विवरण

सत्येन्द्र कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद निवासी-16ए/399, वृन्दावन
योजना-4, रायबरेली रोड, लखनऊ, उ०प्र०।

20/11/19



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW.493338

(5)

मनकि राम बहादुर पुत्र स्व० परागी, निवासी-ग्राम-
सीतारामपुरवा, मजरा-बक्कास, परगना व तहसील-
मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ, उ०प्र०, (विक्रेता) का हैं:-

जो कि विक्रेता आराजी खसरा संख्या-961 रकबा
0.0250 हेक्टेयर, खसरा संख्या-1095 रकबा 0.1550
हेक्टेयर, खसरा संख्या-1096 रकबा 0.0220 हेक्टेयर,
खसरा संख्या-1097 रकबा 0.0250 हेक्टेयर, खसरा
संख्या-1098 रकबा 0.1170 हेक्टेयर, खसरा संख्या-1099
रकबा 0.1040 हेक्टेयर, खसरा संख्या-1100 रकबा
0.0850 हेक्टेयर, एवं खसरा संख्या-1090 रकबा
0.0510 हेक्टेयर कुल आठ किता कुल रकबा 0.5840

-----6

20/11/2022

[Handwritten signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 105167

15 JUL 1984

(6)

हेक्टेयर का 1/2 भाग यानी 0.292 हेक्टेयर का 1/3 भाग यानी 0.09733 हेक्टेयर, स्थित-ग्राम-बकवास, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ, का मालिक, कामिल व काबिज है। उक्त भूमि विक्रेता की पैतृक सम्पत्ति है जो राजस्व अभिलेखों में विक्रेता के नाम राहस्वातेदार संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है।


उक्त भूमि हर प्रकार के विवादों, शर्तों, अजकिस्म, रेहन, बंधक, इकरार, कुर्की, जमानत, हिबा, ऋण आदि से पूर्णतया बरी व पाक-साफ है, जिसको विक्रय करने का पूर्ण मालिकाना अधिकार विक्रेता को प्राप्त है। अब अपनी राजीखुशी से बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बजरूरत होशो हवास

-----7

दि. 28/7/84
[Signature]
28/7/84



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(7)

में उपरोक्त वर्णित भूमि नम्बरी व पैमाचशी को वकीलमती मुबलिग
रुपया-3,90,000/- (तीन लाख नब्बे हजार रुपया मात्र)
जिसके आधे रुपया-1,95,000/- (एक लाख पितान्वे
हजार रुपया मात्र) होते हैं, में बदस्त सत्येन्द्र कुमार पुत्र श्री
जगदीश प्रसाद निवासी-16ए/399, वृन्दावन योजना-4,
रायबरेली रोड, लखनऊ, उ०प्र० (क्रैता) को पक्ष में विक्रय
कर दिया यानि बेच दिया और कुल विक्रय मूल्य क्रैता से वसूल
पाकर कब्जा दखल मालिकाना विक्रेता ने अपने ही समान क्रैता
उपरोक्त का बखूबी करा दिया। अब आज की तारीख के बाद
से विक्रेता या उसके किसी वारिसान व कायम मुकामान का
कोई हक या हिस्सा व दावा उक्त विक्रीत भूमि या उसके



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15 JUL 2016

- 8 -

विक्रय मूल्य के संबंध में किसी प्रकार का बाकी नहीं रहा। अगर कोई व्यक्ति विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के संबंध में क्रेता उपरोक्त से अपना हक जतावे या दावा करे तो दावा उसका इस बैनामें के समक्ष बिल्कुल नाजायज व शून्य होगा और अगर किसी व्यक्ति की दावेदारी या उज्रदारी या हकदारी से विक्रीत भूमि का कुल या जुज भाग क्रेता उपरोक्त के कब्जे से किसी भी समय निकल जावे या कब्जा न मिले, मिल्कियत या हकीयत विक्रेता की करार न पाई जाए, या अन्य किसी प्रकार से उपरोक्त भूमि के कागजात विवादित अथवा भार ग्रसित निकले तो ऐसी तमाम सूरतों में क्रेता उपरोक्त को हक व अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा दिया गया कुल रूपया

— 9

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15 JUL 2016

- 9 -

मय हर्जा व खर्चा व नुकसान सहित विक्रेता व उसके वारिसान व कायम मुकामान की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवे, विक्रेता को कोई मुकाम उज्र का न होगा। अब आज की तारीख से क्रोता उपरोक्त को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त विक्रीत भूमि को समस्त सरकारी अभिलेखों में जहाँ उचित समझे अपने नाम दर्ज करा लेवे, विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

विक्रीत भूमि मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड से 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रीत भूमि में कोई कुआँ या ट्यूबवेल या इमारत आदि नहीं है तथा 200 मीटर त्रिज्या के अन्दर कोई निर्माण या आबादी/आवासीय गतिविधियाँ विद्यमान

--- 10

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 10 -

नहीं है। विक्रीत भूमि पर कोई पेड़ आदि नहीं लगा है और उक्त भूमि कृषि भूमि है। विक्रेता व क्रेता दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य हैं।

विक्रीत भूमि ग्राम-बक्कास, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ के अर्द्धनगरीय क्षेत्र में स्थित है। विक्रीत भूमि का कुल क्षेत्रफल-0.09733 हेक्टेअर है, जिसकी मालियत श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ द्वारा जारी मूल्यांकन सूची के अनुसार सरकारी मूल्य रूपया 40,00,000/- प्रति हेक्टेअर की दर से निर्धारित है। विक्रीत भूमि किसी राष्ट्रीय मार्ग, राजकीय मार्ग, जनपदीय मार्ग व सम्पर्क मार्ग पर स्थित नहीं है। अतः निर्धारित दर के अनुसार



— 11

विक्रीत भूमि की कुल सरकारी मालियत मुबलियत रूपया-3,89,320/- होती है, जो कि विक्रय मूल्य से अधिक है। अतः सरकारी मालियत पर शासकीय शासनादेश संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-स.वि.क.नि.5-2756/ 11-2008-500(165)/2007 दिनांक 30.06.2008 के अनुसार 7 प्रतिशत की दर से रूपया-27,300/- का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। क्रेता व विक्रेता के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा बय पंजीकृत नहीं किया गया है। उक्त विक्रीत भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है। विक्रेता व क्रेता का स्थायी व अस्थायी पता उपरोक्तानुसार है। विक्रीत भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण या उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् की किसी भी योजना में अधिग्रहीत नहीं की गई है और न ही प्रस्तावित है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख समक्ष गवाहान उभय पक्षों ने खूब सोच समझ कर बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बदुरुस्त होशोहवास व स्वस्थ चित्त मन से अपने-अपने हस्ताक्षर करके निष्पादित कर पंजीकृत करा दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

विवरण भूमि बिक्रीशुदा

आराजी खसरा संख्या-961 रकबा 0.0250 हेक्टेयर,
खसरा संख्या-1095 रकबा 0.1550 हेक्टेयर, खसरा
संख्या-1096 रकबा 0.0220 हेक्टेयर, खसरा संख्या-1097
रकबा 0.0250 हेक्टेयर, खसरा संख्या-1098 रकबा
0.1170 हेक्टेयर, खसरा संख्या-1099 रकबा 0.1040
हेक्टेयर, खसरा संख्या-1100 रकबा 0.0850 हेक्टेयर,
एवं खसरा संख्या-1090 रकबा 0.0510 हेक्टेयर कुल

आठ किता कुल रकबा 0.5840 हेक्टेयर का 1/2 भाग यानी 0.292 हेक्टेयर का 1/3 भाग यानी 0.09733 हेक्टेयर, स्थित-ग्राम-बक्कास, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ।

प्रतिफल धनराशि प्राप्ति का विवरण

1. रूपया-3,90,000/- बजरिये चेक संख्या-656287 दिनांक 28/7/14 अदाता ~~आदि ए. अदि ए. अदि ए. अदि ए.~~ ~~लखनऊ~~

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रूपया-3,90,000/- (तीन लाख नब्बे हजार रूपया मात्र) विक्रेता ने क्रेता से विक्रय विलेख निष्पादन के पूर्व उपरोक्तानुसार प्राप्त कर लिया है। अब कोई भी धनराशि विक्रीत आराजी से सम्बन्धित क्रेता से विक्रेता को पाना शेष नहीं रहा।

लखनऊ

दिनांक : 28.07.2014

1. गवाह : ~~राजकुमार~~ ~~राजकुमार~~ ~~राजकुमार~~ ~~राजकुमार~~
पता : ~~राजकुमार~~ ~~राजकुमार~~ ~~राजकुमार~~ ~~राजकुमार~~
2. गवाह : ~~पवन~~ ~~पवन~~ ~~पवन~~ ~~पवन~~
पता : ~~कलेक्ट्रेट~~ ~~कलेक्ट्रेट~~ ~~कलेक्ट्रेट~~ ~~कलेक्ट्रेट~~

ह0 विक्रेता

ह0 क्रेता

टाइपकर्ता




(संदिभ बालाजी)
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

मसविदाकर्ता

(शाशिकान्त मिश्रा)
एडवोकेट
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

0-200 मीटर की त्रिज्या में मानचित्र

आराजी खसरा संख्या-961 रकबा 0.0250 हेक्टेयर, खसरा संख्या-1095 रकबा 0.1550 हेक्टेयर, खसरा संख्या-1096 रकबा 0.0220 हेक्टेयर, खसरा संख्या-1097 रकबा 0.0250 हेक्टेयर, खसरा संख्या-1098 रकबा 0.1170 हेक्टेयर, खसरा संख्या-1099 रकबा 0.1040 हेक्टेयर, खसरा संख्या-1100 रकबा 0.0850 हेक्टेयर, एवं खसरा संख्या-1090 रकबा 0.0510 हेक्टेयर कुल आठ किता कुल रकबा 0.5840 हेक्टेयर का 1/2 भाग यानी 0.292 हेक्टेयर का 1/3 भाग यानी 0.09733 हेक्टेयर, स्थित-ग्राम-बक्कास, परगना व तहसील- भोहनलालगंज, जिला-लखनऊ।



हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

दिनांक 30/07/2014 को

पृष्ठ नं. 1 पृष्ठ नं. 4819

पृष्ठ नं. 305 व 330 पृष्ठ क्रमांक 12017

पेश/प्राप्त किया गया :

पेश/प्राप्त किया गया/पेश/प्राप्त किया गया

अर्पिता शर्मा पाण्डेय
उ.नि.मोहनलालगंज
लखनऊ

